ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-4* May-2017
Innovation The Research Concept

बदलते दौर में स्त्री

वन्दना याग्यिक
शोध छात्रा,
गृह विज्ञान विभाग,
पहलवान ग्रेजुएट महिला महाविद्यालय, पनेरी,
ललितपुर

सारांश

सदियों से समाज ने नारी को पूज्या बनाकर उसकी देह को आभूषणों से लाद कर एवं आदर्शो की परम्परागत घुट्टी पिलाकर उसके दिमाग को कुंद करने का कार्य किया गया है, पर नारी आज, कल्पना चावला, सुनीता विलियंस, पीटी ऊषा, किरन बेदी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, इन्दिरा नूई जैसी शक्ति बनकर समाज को नई राह दिखा रही हैं वैश्विक स्तर पर नाम रोशन कर रहीं हैं।

21 वीं शताब्दी महिला सशक्तिकरण की सदी है। भारत में महिला सशक्तिकरण अत्यन्त जटिल तथा महत्वपूर्ण विषय है। भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं का सम्मानीय स्थान रहा है। ''वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति सशक्त एवं सुदृढ़ थी। 13 वीं शताब्दी में भक्ति आन्दोलन का सहारा लेते हुए संतो एवं कवियों ने अपने ओजस्वी विचारो से परम्परावादी व रूदिवादी समाज की बुराईयों से निजात दिलाने का प्रयास किया गया था। 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरण तक पहुंचते–पहुंचते उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय व शोचनीय हो गई थी। आजादी के पश्चात् भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को स्वतंत्रता व समानता का अधिकार प्रदान किया गया। परिणाम स्वरूप आज की सशक्त महिलायें प्रत्येक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, और भारत में ही नहीं विश्व में भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर रहीं हैं क्योंकि पुनर्जागरण आन्दोलन के प्रमुख जैसे राजाराम मोहन राय, रानाडे, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर आदि समाज सुधारको ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आजीवन अथक प्रयास किये। सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनो तथा कानूनो द्वारा महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने के प्रयास किये गये।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण, पितृसत्तामक, भारतीय नवजागरण, कढि लिंगभेद आदि।

प्रस्तावना

''बेटियाँ हर किसी के मुक्कदर में कहां होती है ,
रब को जो घर पसंद आये बस वहां होती है।

आज नारी जीवन के हर क्षेत्र में कदम बढ़ा रही हैं। आज की नारी अपने कर्तव्यो की गृहकार्यो की इति श्री ही नहीं समझती हैं, अपितु अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति भी सजग है। वह अब स्वयं के प्रति काफी सचेत होते हुए अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने का मुद्दा रखती है। कोई सिर्फ यह कहकर उनको आत्मविश्वास को तनिक भी नही हिला सकता है कि वह एक नारी है। शिक्षा के चलते नारी जागरूक हुई और इस जागरूकता ने नारी के कार्य क्षेत्र की सीमा को घर की चार दीवारों से बाहर की दुनिया तक फैला दिया है।

''लड़को को पढ़ना–लिखना सही समझा जाता है,
तो लड़कियों को पढ़ना–लिखना गलत क्यों समझा जाता है।''

क्योंकि शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के चलते आज नारी भी अपने कैरियर के प्रति काफी संजीदा है। इससे जहां नारी अपने पैरो पर खड़ी हो सकी, वह आर्थिक आत्मनिर्भरता ने उसे रचनात्मक कार्यो हेतु भी प्रेरित किया। आज एक महिला घर में अकेले जितना कार्य करती हैं। उसका मोल कोई नही समझता । पुरूष इसे महिला की ड्यूटी मानकर निश्चित हो जाता है। यह उस स्थिति में भी है जबकि महिला भी कमा रही होती है आज जरूरत इस बात की भी है कि जीडीपी में महिलाओं के कार्य की गणना हो और घरेलू कार्यो को हवा में न उड़ाया जाए। इस अवधारणा को बदलने की जरूरत है कि बच्चो का लालन–पालन और गृहस्थी चलाना सिर्फ नारी का काम है। यह एक पारस्परिक जिम्मेदारी है, जिसे पति–पत्नी दोनों को उठाना चाहिए। इस बदलाव का कारण महिलाओं में आई जागरूकता है, जिसके चलते महिलाएं अपने को दोयम नहीं

मानती और कैरियर को साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक परम्पराओ के क्षेत्र में भी बराबरी का हक चाहती हैं। एक तरफ लड़कियों हाईस्कूल व इण्टर की परीक्षाओ के साथ देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित सिविल परीक्षाओ में भी उनका नाम हर साल बखूबी जगमगा रहा है।

वक्त के साथ नारी का स्वभाव और चरित्र भी बदला है एवं अपने अधिकारो के प्रति वह वखूबी जागरूक हुई है। राजनीतिक, प्रशासन, समाज, उद्योग, व्यवसाय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, फिल्म, संगीत, साहित्य, मीडिया, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वकालत, कला, संस्कृति, शिक्षा, आईटी, खेल कूद, सैन्य से लेकर अंतरिक्ष तक में नारी ने छलांग लगाई। महिलायें आज पुलिस, सेना और अर्द्धसैनिक बलो में बेहतरीन तैनाती पा रही हैं।

WOMAN

W- Wonderful
O- Outstanding
M- Marvelous
E- Adorable
N- Nice

समाज की यह पारपरिक सोच कि महिलाओं के जीवन का अधिकांश हिस्सा घर–परिवार के मध्य व्यतीत हो जाता है और बाहरी जीवन से संतुलन बनाने में उन्हें समस्या आएगी, बेहद दाकियानूसी लगती है, रूढ़ियों को धता बताकर महिलायें जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में नित्य नई नजीर स्थापित कर रही हैं। कल्पना चावला व सुनीता विलियंस ने तो अंतरिक्ष तक की सैर की। पंचायतो में मिले आरक्षण का उपयोग करते हुई नारी जहाँ नए आयाम रच रहीं है, वहीं विधायिका, कार्यपालिका एवं न्याय पालिका में भी महिलायें का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। महिलाओं को सम्पति में बेटे के बराबर हक देने हेतु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन घरेलू महिला हिंसा अधिनियम सार्वजनिक जगह पर यौन उत्पीड़न के विरूद्ध नियम एवं लैंगिक भेदभाव के वकह उठती आवाज नारी को मुखर कर रहीं हैं। दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, शराब खोरी, लिंग विभेद जैसी तमाम बुराईयो के विरूद्ध नारी आगे आ रही है। दहेज लोभियो को बैरंग लौटाने और शराब के ठेको को बंद कराने जैसी कदमो को प्रोत्साहित कर रहीं हैं। ये सभी घटनायें अधिकारो से वंचित नारी की उद्धिनता को प्रतिविम्बित कर रही है। आज वह स्वयं को सामाजिक पटल पर दृढ़ता से स्थापित करने को व्याकुल है। शर्मीली संकुचायी सी खड़ी महिला अब रूढ़िवादिता को बंधनो को तोड़कर अपने अस्तित्व का आभास कराना चाहती है। वर्तमान समय में नारी अपनी संपूर्णता को पाने की राह पर निरंतर बढ़ रही है ताकि समाज के नारी विषयक अधूरे ज्ञान को अपने आत्म विश्वास की लौ से प्रभावित कर सके। साहित्य व लेखन के क्षेत्र में भी नारी का प्रभाव बढ रहा है। सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा, सुमडा कुमारी चौहान साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता (1956) प्रथम महिला साहित्यकार अमृता प्रीतम, प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ महिला विजेता (1976) आशा पूर्ण देवी, ममता कलिया, निर्मला जैन, पुष्पा भारती, नासिरा शर्मा, सूर्यवाला, सुनीता जैन, सुशमा वेदी, अनामिका, अरूंधती राय इत्यादि नामो की एक लम्बी सूची है। जिन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओ को ऊँचाईयों तक पहुंचाया। उनका साहित्य आधुनिक जीवन का जटिल परिस्थितियों को अपने में समेंटे, समय के साथ परिवर्तित होते मानवीय संबंधो का जीता जागता दस्ता वेज है। सदियों से समाज ने नारी को पूज्य बनाकर उनकी देह को आभूषणो से लाद कर एवं आदर्षो की परम्परागत घुट्टी पिलाकर उसके दिमाग को कुंद कराने का कार्य किया लेकिन नारी आज कल्पना चावला, सुनीता विलियंस, पीटी ऊषा, किरण वेदी, वन्दना शिवा, सायना नेहवाल, संतोष यादव, निकपमा राय, मेधा पाटेकर जैसी शक्ति बनकर समाज को नई राह दिखा रही हैं वैश्विक स्तर पर नाम रोशन कर रहीं हैं।

भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यो को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है। जैसे दहेज प्रथा यौन, हिंसा, अशिक्षा, भ्रूण हत्या, असमानता महिलाओ के प्रति, घरेलू हिंसा, कार्य स्थल पर यौन शोषण, बाल मजदूरी, वैश्यावृति, मानव तस्करी और ऐसे दूसरे विषय लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक अन्तर ले जाता है। जो देश को पीछे की ओर धकेलता है। भारत के संविधान में लिखे गये समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओ को सशक्त बनाना सब से प्रभावशाली उपाय है। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में नारी सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला है।

महिला सशक्तीकरण का उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे हर एक परिवार में बचपन से प्रचारित व प्रसारित करना चाहिए। ये जरूरी है कि महिलाएं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो। एक बेहतर शिक्षा की शुरूआत बचपन से घर पर हो सकती है। महिलाओं के उत्थान के लिए एक स्वस्थ्य परिवार की जरूरत है जो राष्ट्र के सर्वागीण विकास के लिए आवश्यक है। आज भी कई पिछड़े क्षेत्रो के माता–पिता की अशिक्षा–असुरक्षा और गरीबी की वजह से कम उम्र विवाह और बच्चे पैदा करने का चलन है। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महिलाओ के खिलाफ होने वाले दुर्व्यव्हार, लैंगिक भेदभाव सामाजिक अलगाव तथा हिंसा आदि रोकने के लिए सरकार कई सारे कदम उठा रही है। राजा राममोहन राय की लगातार कोशिशो की वजह से ही सती प्रथा को खत्म करने के लिए अंग्रेज मजबूत हुए बाद में दूसरे भारतीय समाज सुधारको को आचार्य विनोबा भावे, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा ज्योतिराव फुले आदि महिला उत्थान के लिए अपनी आवाज उठायी। भारत में विधवा पुर्न विवाह अधिनियम 1856 की शुरूआत करवाई।

महिला सुरक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुझाव

सबसे पहले हर महिला को आत्म रक्षा की तकनीक सिखानी होगी तथा उनके मनोबल को भी ऊँचा करने की जरूरत है।

इसमें महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में किसी राह की परेशानी महसूस नहीं होगी।

महिलाओ को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी भी अनजान पुरूष के साथ अकेले में

कहीं न जाये। ऐसे हालात से उन्हें आप को दूर ही रखना चाहिए।

अक्सर देखा गया कि महिलाएं स्थिति की गंभीरता को किसी भी पुरूष की बजाय जल्दी भाप लेती हैं। अगर उन्हें किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका लगती है तो उन्हें जल्द ही कोई ठोस कदम उठा लेना चाहिए।

किसी भी अनजान शहर के होटल या अन्य जगह रूकना हो तो वहां के स्टाफ के लोगों तथा बाकी चीजों की सुरक्षा को पहले की सुनिश्चित कर लें।

अपने आप को विपरीत परिस्थिति में गिरता देख महिलाएं को अपने फोन से इमरजेन्सी नंबर या किसी परिजन को व्हाटस्एप्प भी कर सकती है।

कानूनी अधिकार के साथ महिलाओ को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा पास किये गये अधिनियम

अनैतिक व्यापार एक्ट – 1956
दहेज रोक एक्ट – 1961
एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट – 1976
लिंग परीक्षण एक्ट – 7994
बाल विवाह अधिनियम एक्ट – 2006
कार्यस्थल में महिलाओ का यौन शोषण एक्ट – 2013

''महिलायें हमेशा कहती हैं, हम वो सब कर सकते हैं जो पुरूष कर सकते है। परन्तु पुरूषो को यह कहना चाहिए कि हम वो सब कर सकते है जो एक औरत कर सकती है।''

''जब है नारी में शक्ति सारी,
तो फिर क्यों नारी को कहे बेचारी,
जिसने घुटन से अपनी आजादी खुद अर्जित की
The Indian women has Arrived

एक कोशिश नारी को जगाने की एक आवाहन कि नारी और नर को समान अधिकार है और लिंग भेद जेंडर के आधार पर किया हुआ अधिकारो को बटवारा गलत है और सब गैर कानूनी और असंवैधानिक भी बटवारा केवल क्षमता आधारित सही होता है।

उद्देश्य

नारी सशक्तिकरण की अवधारणा को अधोपित करते हुए उसके ऐतिहासिक एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करना।

विशेष रूप से आज की नारी को परिवार व समाज को उसके कार्य में बाधक नही होना चाहिए। नारी सशक्तीकरण को अधिक सफल बनाने के उद्देश्य से सरकार कई प्रयास भी कर रहीं हैं।

1. राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण की स्कीम
2. स्वाधार
3. अल्पावधि आवास ग्रह
4. कामकाजी महिलाओ के लिए हास्टल तथा काम करने की जगह पर उनके लिये पूरी सुरक्षा के इंतजाम उज्जवला।
5. इँदिरा गांधी मातृत्व सहयोग स्कीम
6. महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका कार्यक्रम प्रियदर्शनी।
7. अटल पेंशन योजना
8. प्रधानमंत्री आवास योजना

निष्कर्ष

भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के खिलाफ बुरे प्रभावो के मुख्य कारणो को समझना और उन्हें हटाना होगा। जो कि समाज की पितृसत्तामक और पुरूष प्रभाव मुक्त व्यवस्था है। जरूरत है कि हम महिलाओ के खिलाफ पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानो में भी बदलाव लायें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 *प्रताप–सिंह आधुनिक भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1999।*
2 *मुकर्जी, रवीन्द्र नाथ – भारतीय सामाजिक संस्थाएं, विवेक प्रकाशन दिल्ली – 1999*
3 *शम्भुनाथ (सम्पा) सामाजिक क्रान्ति के दस्तावेज भाग। वार्णी प्रकाशन नई दिल्ली – 2006*
4 *ठाकुर रवीन्द्रनाथ भारत पथिक राजा राममोहन राय विश्व भारती ग्रंथन विभाग कलकत्ता।*
5 *दत्व कार्तिक चन्द्र राजाराम मोहन राय : जीवन और दर्शन लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद।*